महत्वपूर्ण एवं खास

नगरपालिकाओं के आम एवं उप निर्वाचन 2025 हेतु आदर्श आचरण संहिता प्रभाव शून्य घोषित

नवा रायपुर। नगरपालिकाओं के आम/उप निर्वाचन 2025 के महापौर/अध्यक्ष तथा पार्षद पदों हेतु निर्वाचन संपन्न कराये जाने के लिए आयोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी 2025 को समय अनुसूची (कार्यक्रम) जारी किया गया। कार्यक्रम जारी होते ही सभी संबंधित नगरीय क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई थी। प्रदेश के 173 नगरीय निकायों हेतु दिनांक 11 फरवरी 2025 को मतदान संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज 15 फरवरी 2025 को मतगणना संपन्न होने के उपरांत केवल नगरपालिकाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशून्य घोषित किया गया है।

मुनाफा कमाने का झांसा देकर 15 लाख की ठगी

रायपुर (आरएनएस)। मुनाफा कमाने का झांसा देकर अधेड़ से 15 लाख की ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। प्रार्थी की शिकायत पर मोवा पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। मिली जानकारी के अनुसार अनिल कुमार गुप्ता 48 वर्ष अशोक हाईट्स मोवा का रहने वाला है। प्रार्थी ने थाना में शिकायत किया कि आरोपी दिनतारण मंडल व अन्य 3 लोगों ने प्रार्थी को सोने में निवेश करने पर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए अपने खाता में जमा करवा लिया। प्रार्थी की शिकायत पर मोवा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

अलग-अलग क्षेत्र से दो दोपहिया वाहन पार

रायपुर (आरएनएस)। दो अलग-अलग थाना क्षेत्र से अज्ञात चोर ने दो दोपहिया वाहन पार कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में कबीर चौक रामनगर गुढिय़ारी निवासी नंदकिशोर गढ़ेवाल 45 वर्ष ने गुढिय़ारी थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 एमएल 0228 को घर के बाहर खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 30 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में बोरियाखुर्द निवासी सुकेन्द्र पारथी 25 वर्ष ने टिकरापारा थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 एनपी 7495 को गोकुल नगर शराब दुकान के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 35 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

आशीर्वाद जैनको टेंट हाउस पर जीएसटी का छापा, 7 घंटे तक चली कार्यवाई

भिलाई (आरएनएस)। आशीर्वाद जैनको टेंट हाउस के संचालक राजीव जैन उर्फ पप्पू के दफ्तर और घर पर जीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारा। यह छापा दोपहर 3 बजे शुरू हुआ और 7 घंटे तक लगातार चलता रहा। जीएसटी विभाग की टीम को भारी पैमाने पर जीएसटी चोरी के आरोपों के तहत कार्रवाई करनी पड़ी। टीम ने संचालक के ऑफिस और घर से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ जब्त किए। जीएसटी दुर्ग के डिप्टी कमिश्नर संदीप यदु की अगुवाई में आधा दर्जन अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम ने यह छापा मारा। कार्रवाई के बाद अधिकारियों ने कुछ दस्तावेज़ और सामान जब्त कर लिए और टेंट हाउस के दफ्तर को सील कर दिया। यह कार्रवाई जीएसटी चोरी के बढ़ते मामलों को लेकर की गई है और आगे की जांच जारी रहेगी।

नगरीय निकाय चुनाव 2025

छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगम में भाजपा ने हासिल की जीत

रायपुर

छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा ने जीत का परचम लहराया है. 10 के 10 नगर निगमों में भाजपा ने कांग्रेस को मात देकर महापौर की कुर्सी पर कब्जा किया है. रायपुर में 15 साल बाद कांग्रेस का किला ढहा दिया गया है. यहां बीजेपी महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. उन्होंने 153290 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे को मात दी है. रायपुर में महापौर चुनाव में कुल 509146 वोट पड़े थे. इसमें से भाजपा प्रत्याशी मीनल चौबे को 315835 वोट और कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे को 162545 वोट मिले.

बता दें कि 11 फरवरी को 10 नगर निगमों में वोटिंग हुई थी. इनमें अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, जगदलपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और रायपुर नगर निगम शामिल हैं. इस चुनाव में महापौर के 79 प्रत्याशी मैदान पर थे.

जानिए कहां-कौन कितने वोट से जीते

रायपुर नगर निगम
कांग्रेस महापौर प्रत्याशी – दीप्ति दुबे
भाजपा महापौर प्रत्याशी – मीनल चौबे
रिजल्ट – 153290 वोट से भाजपा की जीत

दुर्ग नगर निगम
कांग्रेस महापौर प्रत्याशी – प्रेमलता साहू
भाजपा महापौर प्रत्याशी – अल्का बाघमार
रिजल्ट – 67 हजार वोट से भाजपा की जीत

कोरबा नगर निगम
कांग्रेस महापौर प्रत्याशी – उषा तिवारी
भाजपा महापौर प्रत्याशी – संजू देवी
रिजल्ट – 52,000 वोट से भाजपा की जीत

अंबिकापुर नगर निगम
कांग्रेस महापौर प्रत्याशी – अजय तिर्की
भाजपा महापौर प्रत्याशी – मंजूषा भगत
रिजल्ट – 11,063 वोट से भाजपा की जीत

बिलासपुर नगर निगम
कांग्रेस महापौर प्रत्याशी – प्रमोद नायक
भाजपा महापौर प्रत्याशी – पूजा विधानी
रिजल्ट – 66,179 वोट से भाजपा की जीत

राजनांदगांव नगर निगम
कांग्रेस महापौर प्रत्याशी – निखिल द्विवेदी
भाजपा महापौर प्रत्याशी – मधुसूदन यादव
रिजल्ट – 41 हजार से अधिक मतों से भाजपा की जीत

रायगढ़ नगर निगम
कांग्रेस महापौर प्रत्याशी – जानकी काटजू
भाजपा महापौर प्रत्याशी – जीववर्धन चौहान
रिजल्ट – 34365 वोट से भाजपा की जीत

जगदलपुर नगर निगम
कांग्रेस महापौर प्रत्याशी – मककीत सिंह गैदू
भाजपा महापौर प्रत्याशी – संजय पांडेय
रिजल्ट – 8772 वोट से भाजपा की जीत

चिरमिरी नगर निगम
कांग्रेस महापौर प्रत्याशी – विनय जायसवाल
भाजपा महापौर प्रत्याशी – रामनरेश राय
रिजल्ट – 4000 वोट से भाजपा की जीत

धमतरी नगर निगम
भाजपा महापौर प्रत्याशी – जगदीश रामू रोहरा
रिजल्ट – 34085 वोट से भाजपा की जीत

स्कूटी में शराब की तस्करी, कोतवाली पुलिस ने स्टेशन चौंक पर आरोपी को दबोचा

स्कूटी की डिक्की में छिपाया 32 पाव देशी और अंग्रेजी शराब के साथ स्कूटी जब्त, आरोपी पर आबकारी एक्ट की कार्रवाई

रायगढ़

कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कल लगातार कार्रवाई करते हुए एक युवक को स्कुटी पर शराब तस्करी करते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला कल रात की है, जब कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सुखनंदन पटेल और उपनिरीक्षक ऐनु देवांगन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया। टाउन पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति काले रंग की एक्टिवा में अवैध शराब लेकर तेज रफ्तार में कोतरारोड की ओर जा रहा है। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने स्टेशन चौक के पास घेराबंदी कर वाहन को रोका और चालक को पकड़ लिया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल शर्मा (34) निवासी कोतरारोड, सिटी हॉस्पिटल के सामने गली के रूप में हुई है। स्थायी पता स्टेशन रोड, खरसिया वार्ड नंबर 10, जिला रायगढ़ के रूप में हुआ। पुलिस ने गवाहों के समक्ष आरोपी और उसके वाहन की तलाशी ली, जिसमें स्कूटी की डिक्की से कुल 5.760 बल्क लीटर शराब बरामद हुई। इसमें 10 पाव देसी मदिरा प्लेन, 18 पाव देसी मदिरा मसाला और 4 पाव बैगपाइपर व्हिस्की अंग्रेजी शराब शामिल थी। जब्त शराब की कुल कीमत रु.3,720 आंकी गई, जबकि परिवहन में इस्तेमाल काले रंग की एक्टिवा (सीजी 13 एएन 0209) की कीमत रु.40,000 आंकी गई है।

आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59(क) के तहत मामला दर्ज कर उसे कोतवाली थाना लाया गया, जहां से उसे आज रिमांड पर भेज दिया गया है। इस सफल कार्रवाई में उपनिरीक्षक ऐनु देवांगन, हेड कांस्टेबल श्रीराम साहू, कांस्टेबल उत्तम सारथी और मनोज पटनायक की अहम भूमिका रही। शहर में अवैध शराब के खिलाफ ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे।

जमीन विवाद में भतीजे को लोहे के बसूला से मारा, ईलाज दौरान आहत की मौत, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

थाना लैलूंगा क्षेत्र अंतर्गत सोनाजोरी में जमीन हिस्सा बटवारा को लेकर 60 वर्षीय रामसाय खलखो ने अपने भाई के लड़के ईश्वर खलखो (उम्र 32 साल) पर बसूला से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, आहत को ईलाज के लिए सीएचसी लैलूंगा में भर्ती कराया गया था, जहां आहत ने दम तोड़ दिया। लैलूंगा पुलिस ने आरोपित रामसाय खलखो को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

दिनांक 14/02/25 के शाम टीआई लैलूंगा राजेश जांगड़े को ग्राम सोनाजोरी जोटोपारा में मारपीट की सूचना मिली, थाना प्रभारी द्वारा तत्काल थाने से स्टाफ ग्राम सोनाजोरी भेजा गया। जहां आहत ईश्वर खलखो की पत्नी तारा खलखो (उम्र 20 साल) ने बताया कि इसके पति और उसके बड़े पिता रामसाय खलखो का समलाती भूमि सोनाजोरी स्थित है। दोनों का हिस्सा बटवांरा हो चुका है, पति ईश्वर खलखो और बड़े पिता रामसाय खलखो का जमीन हिस्सा बटवांरा को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था। बड़े पिता रामसाय खलखो हमारे कोलाबाडी में लगे कर्रा बांस पौधा को मेरे हिस्से का है, जमीन बटवांरा नहीं दुंगा कहकर लोहे का धारदार बसूला को लेकर आया और गाली गलौच कर पति ईश्वर खलखो के सिर पर मारा जिससे सिर में चोंट लगने से काफी खून निकला और ईश्वर बेहोश हो गया था। आहत ईश्वर खलखो को ईलाज के लिये CHC लैलूंगा ले जाकर भर्ती कराया गया। घटना की रिपोर्ट पर थाना लैलूंगा में हत्या का प्रयास का मामला अप0क्र0 48/2025 धारा 109 BNS के तहत कायम कर तत्काल पुलिस ने आरोपी रामसाय खलखो पिता सुकरू खलखो उम्र 60 साल निवासी जोटोपारा सोनाजोरी, थाना लैलूंगा, को हिरासत में लिया। आरोपी ने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया है जिससे घटना में प्रयुक्त धारदार लोहे का बसूला, घटना समय पहने कपड़े आदि जप्त कर रिमांड बाद जेल दाखिल किया गया है। वहीं आहत के ईलाज दौरान मौत की सूचना पर प्रकरण में धारा 103(1) BNS जोड़ा गया है, आगे की कार्रवाई जारी है।

खरसिया पुलिस ने कंटेनर वाहन से परिवहन की जा रही 94.08 लाख रुपए की अवैध शराब की बड़ी खेप को पकड़ा, दो तस्कर गिरफ्तार

नेशनल हाईवे पर पुलिस चेकिंग देखकर कंटेनर वाहन का ड्राइवर वाहन लेकर भागा और हडबड़ी में वाहन हुई दुर्घटनाग्रस्त

रायगढ़

जिले में नगरीय निकाय चुनाव की मतगणना और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए पुलिस ने सख्त निगरानी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कल 14 फरवरी 2025 को थाना खरसिया प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव और उनकी टीम ने नेशनल हाईवे-49 पर चोढा चौक के पास वाहनों की सघन चेकिंग के दौरान कंटेनर वाहन से अवैध शराब की एक बड़ी खेप बरामद की।

जानकारी के मुताबिक NH 49 पर चेकिंग के दौरान शाम करीब 6:15 बजे पुलिस ने सक्ती की ओर से आ रहे कंटेनर वाहन (UP 78 DN 3531) को पुलिस स्टाफ ने रोकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने वाहन की दिशा बदलकर तेजी से छाल की ओर भगाने लगा। पुलिस ने संदेह होने पर पीछा किया, जिसके बाद कंटेनर चालक ने ग्राम देहजरी स्थित बिल्लू पेट्रोल पंप के आगे वाहन को सड़क किनारे उतारकर दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। स्थानीय लोग मौके पर जुटे तो पुलिस ने घेराबंदी कर वाहन की जांच शुरू की।

कंटेनर के पिछले दरवाजे खुले हुए थे, जिनमें बड़े पैमाने पर शराब भरी हुई थी। वाहन में मौजूद दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जिन्होंने पूछताछ में अपने नाम मोहम्मद अजीम (28) निवासी फत्तेपुर खास, थाना मैनाडेर, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) और सुमित चौधरी (30) निवासी जटपुरा, थाना मैनाडेर, जिला मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) बताए। दोनों संदिग्ध सामग्री को लेकर संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद पुलिस ने विधिवत तलाशी ली।

कंटेनर में 833 कार्टन में 9,996 बोतलें और 1,764 बोतलें खुले पड़े कार्टनों में, कुल 11,760 बोतल अवैध अंग्रेजी व्हिस्की (Royal Gold Cup) बरामद की गई, जिनकी मात्रा 8,820 बल्क लीटर और बाजार कीमत रु.94,08,000 आंकी गई। तस्करी में इस्तेमाल किया गया कंटेनर वाहन भी जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत रु.30 लाख है। इस प्रकार आरोपियों से अवैध शराब और वाहन समेत कुल 1 करोड 24 लाख 8 हजार रूपए की संपत्ति जप्त किया गया है।

आरोपियों के खिलाफ थाना खरसिया में अपराध क्रमांक 93/2025 के तहत धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन और एडिशनल एसपी आकाश मरकाम व एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में थाना प्रभारी कुमार गौरव, उपनिरीक्षक अमरनाथ शुक्ला, सहायक उपनिरीक्षक उमाशंकर धृतांत, प्रधान आरक्षक संजय मिंज, महेंद्र खरे और आरक्षक योगेश साहू, अमित नट की अहम भूमिका रही।

छत्तीसगढ़ में कोरोना का बढ़ता खतरा, दुर्ग में एक और मौत, प्रदेश में 72 एक्टिव केस

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण फिर से चिंता बढ़ा रहा है। मंगलवार को दुर्ग में डायबिटीज से पीड़ित एक मरीज ने कोरोना से दम तोड़ दिया, जिससे प्रदेश में पिछले सवा माह में यह तीसरी मौत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राज्य में 23 नए मरीज मिले हैं, जिनमें रायपुर से 10, कांकेर से 6, दुर्ग से 4, बीजापुर से 2 और बेमेतरा से 1 मरीज शामिल है।

इस दौरान 2745 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें संक्रमण दर 1त्न के करीब पहुंच गई है। राहत की बात यह रही कि 5 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल प्रदेश में 72 एक्टिव केस हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वायरस अब भी सक्रिय है और सावधानी बेहद जरूरी है। आंबेडकर अस्पताल के चेस्ट विभाग के एचओडी डॉ. आरके पंडा के मुताबिक, मास्क पहनने और भीड़ से बचने जैसी सावधानियों से संक्रमण रोका जा सकता है। बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

तीन बांग्लादेशियों के एटीएस की गिरफ्त में आते ही पत्नी-बेटे को छोड़कर भागा सरगना

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लंबे समय से फर्जी दस्तावेज के जरिए रह रहे तीन बांग्लादेशी भाइयों के गिरफ्त में आने की खबर लगते ही सरगना शेख अली बीते रविवार से गायब है।

वह पैसे लेकर फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैनकार्ड, स्कूली शिक्षा का प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, वीजा आदि बनवाकर कई लोगों को दुबई, बगदाद (इराक) और सीरिया भेज चुका है। मगर, इस बार सगे भाई मो. इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन का जन्मप्रमाण पत्र बनवाने के चक्कर में फंस गया।

पत्नी बोली- गलत काम करने से करती थी मना

फरार सरगना शेख अली की पत्नी शेख फरीदा ने नईदुनिया को बताया कि वह हमेशा अपने पति को गलत काम छोडक़र सही रास्ते पर चलने को कहती थी। मगर, वह नहीं माना। रविवार नौ जनवरी को वह बदहवास हालत में घर पहुंचा। अपने कपड़े आदि बैग में रखकर बाहर जा रहा हूं, कहकर निकल गया।

तब से उससे कोई संपर्क नहीं है। मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पड़ोसियों ने शेख अली समेत पूरे परिवार की शुरू से गतिविधियां संदिग्ध होने और बात-बात पर विवाद करने की जानकारी दी।

विरोध करने पर करता था पत्नी-बेटे की पिटाई

शेख फरीदा का कहना है कि गलत कामों का विरोध करने पर शेख अली उसे और बेटे शेख फैज की पिटाई करता था। हमेशा चुपचाप घर में रहने को कहता था। मूलत: नागपुर (महाराष्ट्र) के मोमिनपारा की निवासी शेख फरीदा ने वर्ष 2025 में नागपुर में ही रह रहे शेख अली से निकाह किया था।

गंगा स्नान करने प्रयागराज जा रहे कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र के 10 श्रद्धालु सड़क हादसे में मारे गए, सभी मृतक एक ही क्षेत्र के

कोरबा । आरएनएस

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र के 10 लोगों की उत्तरप्रदेश में सडक़ हादसे में मौत हो गई है। कलेक्टर अजित वसंत ने घटना की पुष्टि की है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के दर्री थाना क्षेत्र से प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर गंगा स्नान करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो की बस से टक्कर हो गई। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। 19 घायल हैं। सभी मृतक कोरबा जिले के बताए जा रहे हैं।

बताया गया कि कोरबा जिले से श्रद्धालु संगम स्नान करने के लिए जा रहे थे कि प्रयागराज .मिर्जापुर हाईवे पर मेजा इलाके में पिछली रात करीब 2रू30 बजे यह हादसा हुआ। सभी मृतक बोलेरो में सवार थेए जबकि बस सवार यात्री घायल हुए हैं। बस प्रयागराज से मध्य प्रदेश लौट रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बोलेरो सवार श्रद्धालु छिटककर सडक़ पर जा गिरे। किसी का हाथ टूटा तो किसी का सिर फट गया। कई लोग बोलेरो में ही फंस गए। शवों को बोलेरो से निकालने में ढाई घंटे का समय लगा।

दर्री थाना के उप निरीक्षक राजेश तिवारी ने बताया कि घटना की जानकारी दर्री पुलिस को मिली है। दुर्घटनाग्रस्त वाहन में 10 लोग प्रयागराज गए थे। एक मृतक ईश्वरी जायसवाल के परिजन सुनील सोनी ने तीर्थ यात्रियों में से 8 लोगों का नाम बताया हैए जी निम्न है.

मृतकों में पिता पुत्र संतोष सोनी 54ए सौरभ सोनी 26ए भागीरथी जायसवाल 47ए राजू साहू 38ए शिवा राजपूत 62ए गंगा वर्मा 53ए दीपक वर्मा 28 सभी कलमी डुग्गू बस्ती दर्रीए ईश्वरी जायसवाल 45 श्यामनगरए सोमनाथ यादव 27 प्रगति नगरए दर्री और एक अन्य जय भगवान गली दर्री निवासी बताए गए हैं। दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो वाहन संतोष सोनी का बताया गया है। दुर्घटना की खबर मिलने के बाद दर्री क्षेत्र में मातम का माहौल है। दर्री पुलिस मृतकों के परिजनों से सम्पर्क में है और मृतकों के शव दर्री मंगाने के प्रयास शुरू हो गए हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480